Electors Verification Prgoramme

As directed by the Election Commission of India, New Delhi, **Electors Verification Program (EVP)** is being carried out in a campaign mode in the UT of Dadra Nagar Haveli from **1st September 2019 to 15th October 2019**

This program is to encourage all the existing electors of UT of Dadra & Nagar Haveli to verify and authenticate their elector's details including Mobile Nos. /E-mail ids by giving copy of one of the following documents:-

1. Indian Passport
2. Driving License
3. Aadhaar ID
4. Ration card
5. Identity Card for Government/Semi-Government officials.
6. Bank Passbooks
7. Farmer's Identity Card

Channels for furnishing information under Electors Verification Programme:-

1. Voter helpline Mobile app (Download from Play Store)
2. NVSP portal (www.nvsp.in)
3. By visiting Common Service Centers (CSCs) at following places:-

   (Dudhani, Randha, Khanvel, Dapada, Kilvani, Naroli, Dadra, Samarvarni, Silvassa, Rakholi, Amboli, Galonda, Kharadpada&Sayli)

4. Voter Helpline Number 1950. (Only for Physically Disabled Voters)

संदेश

भारत निर्वाचन आयोग का ये निरंतर प्रयास रहा है कि लोगों की सहभागिता से सम्पूर्ण देश में सही एवं त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली तैयार की जाय।

आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **मतदाता सत्यापन कार्यक्रम** का शुभारम्भ किया जा रहा है। सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वे एक अतिरिक्त दस्तावेज के साथ अपना सत्यापन करें, अपने विवरण में पाई गई किसी त्रुटि को ठीक करें, अपनी पुरानी /श्वेत-श्याम फोटो को बदलकर रंगीन फोटो लगाएं, अपने नामों की बहुल प्रविष्टियों (यदि कोई हों) को हटाएं और साथ रह रहे अपने परिवारजनों को एक ही मतदान केन्द्र पर जोड़ें।

मतदाताओं की सुविधा के लिए सेवाएं **www.nvsp.in**, **मतदाता सुविधा केन्द्रों**, **वोटर हेल्पलाइन एप्प** और **बूथ लेवल अधिकारियों** के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं।

कृपया इस स्वर्णिम अवसर से न चूकें।

सुशील चंद्रा	**सुनील अरोड़ा**	**अशोक लवासा**
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

भारत निर्वाचन आयोग

NO VOTER TO BE LEFT BEHIND

निर्वाचन विभाग सिलवासा

"अपील"

- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विगत लोक सभा निर्वाचन – 2019 के दौरान मतदाता सूचियों में मतदाताओं की प्रविष्टियों में पाई गई विसंगतियों (जैसे, नाम, घर न०, पता, आयु, लिंग तथा फोटो इत्यादि में गलती) के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसी विसंगतियों को सही/ठीक करने हेतु **मतदाता सत्यापन कार्यक्रम** संचालित करने का निर्णय लिया है ताकि मतदाता सूचियां पूर्ण रूप से शुद्ध की जा सके। उक्त कार्यक्रम दिनांक 1 सितम्बर, 2019 से 15 अक्तूबर, 2019 तक चलेगा।
- इस कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रत्येक मतदाता अपने सम्बन्धित मतदाता सूची में विद्यमान प्रविष्टियों का सत्यापन निम्न माध्यमों से कर सकता है :–
  - ➢ वोटर हैल्पलाइन एप ("Voter helpline" Mobile app,) द्वारा,
  - ➢ राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP Portal) के माध्यम से,
  - ➢ कॉमन सर्विस सेंटर/लोक मित्र केन्द्र में जा कर,
  - ➢ निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस. डी. एम.) के कार्यालय में स्थापित मतदाता सहायता केन्द्र (VFC) में जा कर,
  - ➢ दिव्यांग मतदाता (PwDs) मतदाता हेल्पलाईन (1950) के माध्यम से भी उक्त सत्यापन कर सकते है।
- मतदाताओं से वांछित सूचना एवम् दस्तावेज़ निम्न हैः–
  - ➢ प्रविष्टि की प्रमाणिकता हेतु निम्न में से एक दस्तावेज़ को उपर वर्णित किसी एक माध्यम से अपलोड करना होगाः
    - ▪ भारतीय पासपोर्ट, ▪ ड्राईविंग लाईसेंस, ▪ आधार कार्ड, ▪ राशन कार्ड,
    - ▪ बैंक पासबुक, ▪ किसान प्रमाण,
    - ▪ सरकारी/अर्ध सरकारी कर्मचारीयों को जारी किये गए पहचान पत्र,
    - ▪ पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
    - ▪ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित कोई अन्य दस्तावेज़।
  - ➢ अपने परिवार के अन्य सदस्यों का ब्यौरा तथा उनसे सम्बन्धित मतदाता सूची में विद्यमान प्रविष्टियों का सत्यापन।
  - ➢ अपने परिवार के उन सदस्यों का ब्यौरा जिनका नाम मतदाता सूची में विद्यमान है परन्तु वो स्थाई रूप से स्थान त्याग चुकें है अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है।
  - ➢ परिवार के उन सदस्यों का ब्यौरा जिनका जन्म 1 जनवरी, 2001 अथवा उस से पहले हुआ हो तथा उन सदस्यों का विवरण जो भविष्य में मतदाता बनगें तथा जिनका जन्म 2 जनवरी, 2002 तथा 1, जनवरी, 2003 के मध्य हुआ हो।
  - ➢ बेहतर मतदाता सुविधा हेतु अपने निवास स्थान के GIS Coordinates का ब्यौरा (Mobile App) के माध्यम से विद्यमान मतदान केन्द्र से सम्बन्धित मतदाता की राय अथवा किसी वैकल्पिक मतदान केन्द्र हेतु सुझाव।

Election Commission of India
www.eci.gov.in

I MAKE MY VOTER DETAILS
100% सही
VERIFY CORRECT AUTHENTICATE

Join the Largest Voter's Verification Drive

1st September – 15th October, 2019

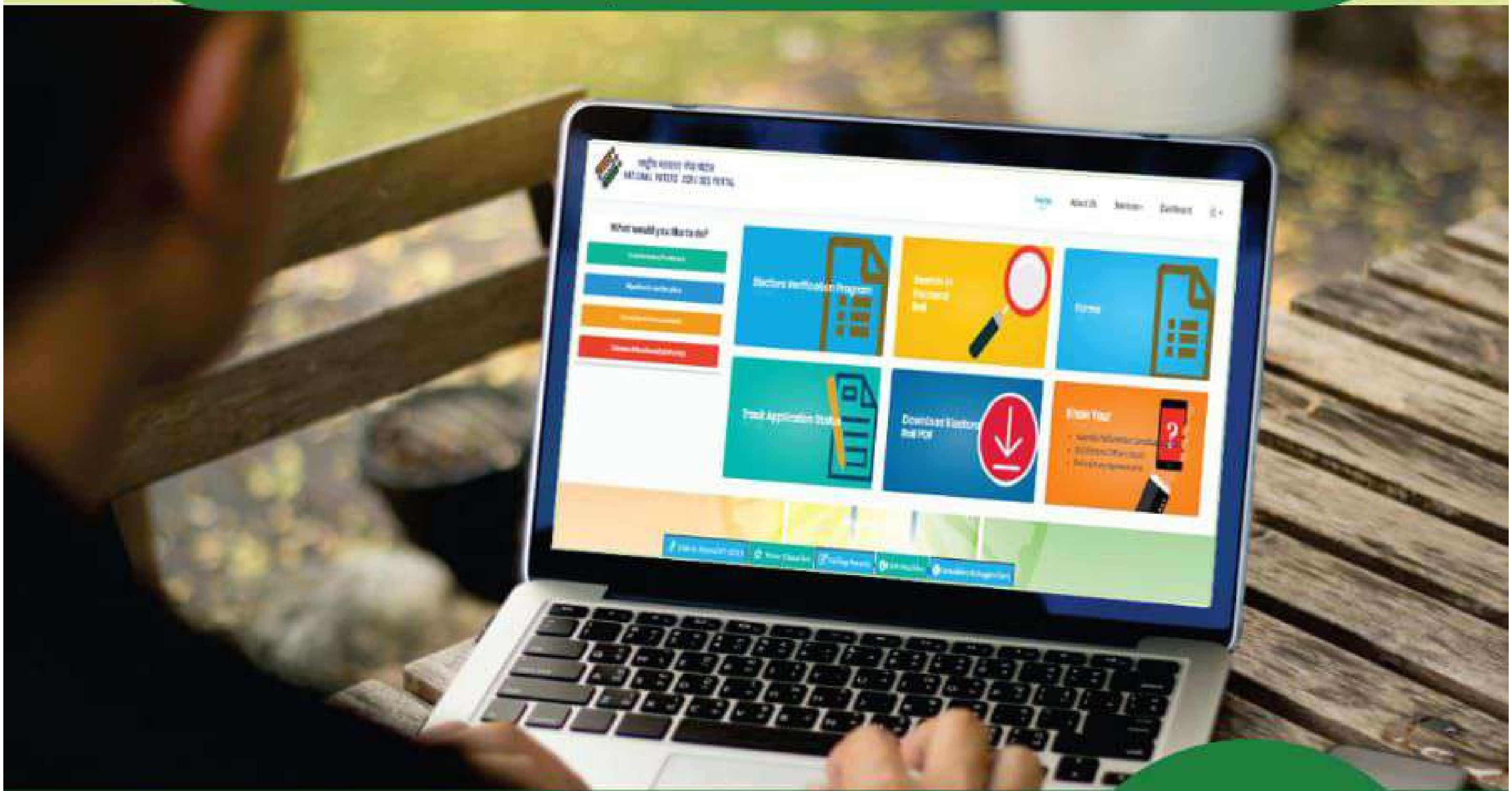

Check, authenticate and verify your and your family's details in your EPIC for a 100% Error Free Electoral Roll in just five easy steps:

Step 1. Log on to www.nvsp.in with your EPIC Number

Step 2. Verify your Name, DOB, Gender, Relation Type/Name, Address and Photo

Step 3. In case of errors or change in your details/ photograph, mention the correct information

Step 4. Upload any one ID proof

Step 5. Submit your Mobile Number and email for further services

BENEFITS:

- Permanent Log in facility for Registered voters
- Regular SMS based information/ alerts
- Personalized contact with BLOs/ EROs
- No deletion without your permission
- During election, all election related information will be sent on your mobile/email
- Family living together will be grouped at one polling station.

For More Details:

- Visit www.nvsp.in
- Download 'Voter Helpline' Android App
- Call Helpline 1950
- Visit ERO Office

मतदाता सुविधा केंद्र
VOTER FACILITATION CENTRE

निर्वाचक नामावली की शत प्रतिशत शुद्ध एवं त्रुटि रहित तैयारी हेतु

मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (1st September to 15th October 2019)

दिनांक 1/09/2019 से 15/10/2019 के मध्य सभी बी०एल०ओ० अपने मतदान केंद्र की निर्वाचक सूची का ग्रहवार सत्यापन करेंगे।
इस अवधि में निर्वाचकों द्वारा समर्पित दस्तावेज़ों का सत्यापन भी बी०एल०ओ० द्वारा किया जाएगा।

- EVP के अंतर्गत ग्रहवार सत्यापन के क्रम में निर्वाचक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के सुधार के लिए ऑनलाइन (www.nvsp.in) या ऑफलाइन प्रपत्र - 8 दे सकते हैं।
- बी०एल०ओ० मृत निर्वाचकों, दोहरी प्रविष्टी तथा अपने निवास से अनुपस्थित निर्वाचकों की जांच करेंगे, एवं प्रपत्र - 7 प्राप्त कर मतदाता सूची से ऐसे नामों के विलोपन की कारवाई करेंगे।

- निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता का सत्यापन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शासकीय/अशासकीय पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर किया जाएगा।

- नए निर्वाचक नाम जोड़ने हेतु ग्रहवार सत्यापन के दौरान बी०एल०ओ० को अपना प्रपत्र - 6 दे सकते हैं या www.nvsp.in पर भी आवेदन कर सकते हैं।

- निर्वाचक के साथ वास करने वाले परिवार के सदस्य जो योग्य एवं अपंजीकृत हो तथा जिनका जन्म 01.01.2001 या उसके पूर्व हुआ हो तथा वैसे भावी निर्वाचक जिनका जन्म 02.01.2002 से 01.01.2003 के मध्य हुआ हो, उनसे संबन्धित सूचना एकत्रित की जाएगी।

EVP कार्यक्रम मतदाताओं की सक्रिय सहभागिता पर आधारित है। निर्वाचक द्वारा इन माध्यमों से स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्यों के विवरणों का सत्यापन किया जा सकता है।

वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप	जन सेवा केंद्र (CSCs)	राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in	वोटर हेल्पलाइन 1950

कार्यालय: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
सिलवासा

शुद्ध मतदाता सूची,
पारदर्शी निर्वाचन

वोटर हेल्पलाइन एप

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल